न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः--श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः--511/2011/223 (2011/00033)

1. श्रीमती हासी पत्नी स्व0 देवी सिंह,
2. भागचन्द पुत्र स्व0 देवी सिंह,
3. रमेश पुत्र स्व0 देवी सिंह,-
4. पूनम पुत्र स्व0 देवी सिंह,
5. श्रीमती बदामी पुत्री स्व0 देवी सिंह,
6. श्रीमती नानी पुत्री स्व0 देवी सिंह,
7. श्रीमती सोनी पुत्री स्व0 देवी सिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बूबानी, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती नारायणी पत्नि स्व0 छीतर (फौत--नाम तर्क)
2. शंकर पुत्र स्व0 छीतर,
3. धुकल सिंह पुत्र स्व0 दूदा,
4. उगमा पुत्र स्व0 दूदा,
5. रामसिंह पुत्र स्व0 दूदा,
6. भभूता पुत्र स्व0 नाथा,
7. श्रीमती उमी पत्नी स्व0 भैरू,
8. धन्नासिंह पुत्र स्व0 भैरू,
9. भारमल पुत्र स्व0 भैरू,
10. मेवा पुत्र स्व0 भैरू,
11. ज्ञानी पुत्र स्व0 भैरू,
12. मांगू पुत्र स्व0 भैरू,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बूबानी, तहसील व जिला अजमेर ।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
14. शाखा प्रबंधक, एस0बी0बी0जे0 शाखा, भूडौल, तह0 व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक जिलाधीश (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 29.9.2011अंतर्गत वाद संख्या 86/2011.

उपस्थितः--

1. श्री एन0एस0 राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 12 व 14 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 29.7.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर के निर्णय दिनांक 29.9.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस के पूर्वाधिकारी स्व0 देवीसिंह द्वारा ग्राम बूबानी तहसील व जिला अजमेर अवस्थित साबिक खसरा नंबर 707, 708, 709, 734, 1171 जिनके नवीन खसरा नंबर 955 रकबा 5—5—10, खसरा नंबर 954 रकबा 3—11—00, खसरा नंबर 953 रकबा 4—1—00, 958 रकबा 16—15—00, 958/2204 रकबा 0—01—10 व खसरा नंबर 1530 रकबा 2—11—00 भूमियों बाबत् एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के न्यायालय में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी मुतनाजा अपीलांटस/वादीगण के पूर्वाधिकारी स्व0 काना वल्द पन्ना के खातेदारी एवं आधिपत्य की थी, जिनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके दो पुत्र देवीसिंह व छीतर जो कि प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पति एव पिता को जरिये विरासत प्राप्त हुई । कृषि भूमियों पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित होकर उक्तानुसार बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु भू—प्रबंध की कार्यवाही के समय भू—प्रबंध विभाग के राजस्व अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत क्षेत्राधिकार के परे हाल खसरा नंबर 953, 954, 958/2204 एवं 1530 का अंकन प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा स्व0 सायर पुत्र छीतर के नाम गैर कानूनी रूप से अंकित कर दिया गया जिसमें से सायर पुत्र छीतर का नाऔलाद स्वर्गवास हो जाने से जरिये नामांतकरण संख्या 16 दिनांक 22.5.1989 द्वारा संपूर्ण रकबा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया । गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज के आधार पर संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की उक्त कृषि भूमियों में से खसरा नंबर 953 व 954 का विक्रय प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 3 से 5 के हक में कर दिये जाने से जरिये नामांतकरण संख्या 37 दिनांक 22.5.1989 को प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज कर दिया गया । इसी प्रकार खसरा नंबर 455 में से 1/2 हिस्से का विक्रय प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 6 को कर दिया गया जिसके आधार पर प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 6 के नाम कर दिया । इस गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण खातेदारी के आधार पर प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 6 द्वारा अपना कयशुदा 1/2 हिस्सा भैरू वल्द हीरा कौम रावत को विक्रय कर दिया गया । इस विक्रय के आधार पर जरिये नामांतकरण संख्या 197 दिनांक 4.9.1998 द्वारा भैरू वल्द हीरा के नाम कर कर दिया तथा भैरू वल्द हीरा के स्वर्गवास के बाद जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 411 दिनांक 20.2.2004 द्वारा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 7 लगायत 12 के नाम अंकन कर दिया गया । इस प्रकार गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज को दुरूस्त फरमाया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार विभाजन करते हुए प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 29.9.2011 द्वारा वादी/अपीलांटस का वाद अबेट के आधार पर खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करने से पूर्व इस विधिक बिन्दू पर गौर नहीं किया कि प्रस्तुत वाद विभाजन के अनुतोष हेतु भी विचाराधीन था जो विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में सामान्यतः अबेट नही होता है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विधिक प्रावधानों के आशय को समझे बिना वादी/अपीलांटस का वाद अबेट करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस ने निर्धारित तिथि दिनांक 29.9.2011 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 व 153 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर दिया था जिस पर विधिवत् सुनवाई किये जाने के पश्चात् ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परन्तु अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस को विधिवत् सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादपत्र में एकमात्र वादी स्व0 देवीसिंह था जो स्वंय ही प्रकरण की पैरवी कर रहा था जिसका बीमारी के दौरान स्वर्गवास हो गया जिसकी सामान्य रूप से जानकारी होने पर वादी अभिभाषक द्वारा उक्त तथ्य की मौखिक रूप से अधी0न्याया0 को सूचना दी गई थी, जबकि विधिक प्रावधानों के तहत प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 एवं उनके अभिभाषक द्वारा आदेश 22 नियम 10–ए जा0दी0 के तहत वादी देवीसिंह के स्वर्गवास होने बाबत् कोई विधिवत् सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने वाद पत्र की परिस्थितियों एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आधारों पर गौर किये बिना वाद अबेट करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमियों में विभाजन कर अधिकार अंतिम रूप से विधिक विभाजन नही होने तक सदैव विद्यमान रहता है । विभाजन के वाद को तकनीकी आधार पर निर्णित कर पक्षकार को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय की सूचना उनके अभिभाषक द्वारा प्रार्थीगण को प्रेषित की गई परन्तु प्रार्थीगण कृषि कार्य में व्यस्त होने से अपने अभिभाषक से संपर्क दिनांक 10.11.2011 को सके जिस पर दिनांक 11.11.2011 को निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर दिनांक 23.11.2011 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर फीस व खर्चे इत्यादि की व्यवस्था कर अंदर मियाद अपील पेश किये जाने हेतु दिनांक 28.11.2011 को न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु दिनांक 28.11.2011 व 29.11.2011 को अभिभाषक संघ की हड़ताल होने की वजह से अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर आज प्रस्तुत की जा रही है । इस प्रकार प्रमाणित प्रति प्राप्त होने में व्यतित हुए समय व हड़ताल के कारण हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जावे ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण के

गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणवगुणा पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस के पूर्वाधिकारी स्व0 देवीसिंह द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष ग्राम बूबानी तहसील व जिला अजमेर स्थित वादपत्र में वर्णित विवादित आराजियात बाबत् वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया था । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते वादी देवीसिंह का स्वर्गवास होने पर अपीलांटस/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 व 153 जा0दी0 पेश कर स्व0 देवीसिंह के विधिक वारिसान को वाद में पक्षकार नियुक्त करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांटस का वाद मृतक वादी देवीसिंह के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं किये जाने तथा तलबी आदेशों की पालना नहीं किये जाने के आधार पर वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज किया है । विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने कथन रहा है कि बंटवारे का वाद उपशमन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है । हस्तगत वाद भी वादी देवीसिंह ने धारा 88 व 188 के साथ–साथ धारा 53 बंटवारा बाबत् भी पेश किया था ।

8. ए0आई0आर0 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 606 में यह निर्धारित किया गया है कि :– " It is true that no steps were taken by the appellants for bringing the legal representatives of the deceased respondent No 5 on record for about 6 Years even though according to respondent No. 4 the appellants knew about the death of respondent No. 5. But merely because no application was made by the appellants for bringing the legal representatives of the deceased respondent No. 5 on record we do not think that in the circumstances of the present case that would be a valid ground for refusing to grant the application ot the appellants for setting aside the abatement and bringing the legal representatives of the deceased respondent No.5 on record because the appellants are admittedly from the rural area and in a country like ours where there is so much poverty, ignorance and illiteracy, it would not be fair to presume that everyone knows that on death of a respondent, the legal representatives have to be brought on record within a certain time. The ends of justice require that ehe application for bringing the legal representatives of the deceased respondent No 5 should have been granted. "

9. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में निर्धारित सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि बंटवारा का वाद उपशमन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है तथा न्याय के लिए वाद को उपशमन के आधार पर खारिज किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में मृतक वादी देवीसिंह के विधिक वारिसान अपीलांटस को मृतक वादी देवीसिंह के स्थान पर वाद में वादीगण नियुक्त कर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना न्यायोचित समझते है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य

तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकार प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक जिलाधीश, मुख्यालय, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.9.2011 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस को मृतक वादी देवीसिंह के स्थान पर वादीगण नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 29.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर